

लिखित पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

अज - 3099-1-16

श्री. अजय कुमार शर्मा को
द्वारा आज दि. 6. 9. 16 को
प्रस्तुत
बलदेव आशिष कुमार
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
6. 9. 16

15
06/9/16

अमित मेहता पुत्र दौलतराम मेहता
आयु 40 वर्ष, व्यवसाय दुकानदारी,
निवासी- नये बस स्टेण्ड के पास
बरेठ रोड़ गंजबासौदा जिला
विदिशा, मध्य प्रदेश

.....निगरानीकर्ता

बनाम्

1. अभय कुमार पुत्र भगवतस्वरूप
निवासी - 31 ए जवाहरनगर
पिपलानी भोपाल हाल- रॉयल
सिटी विदिशा मध्य प्रदेश
2. विनय कुमार पुत्र कुँजी लाल
निवासी- रॉयल सिटी विदिशा
मध्य प्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका गंजबासौदा विदिशा
मध्य प्रदेश

.....रेस्पोंडेण्ट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश
दिनांक 14/01/2012 न्यायालय नायब तहसीलदार / राजस्व
निरीक्षक गंजबासौदा के प्रकरण क्रमांक 23/ए 12/11-12 सीमांकन
अजय कुमार बनाम् शासन में पारित आदेश के विरुद्ध।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-


1. यहकि, संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3099-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज आनंद उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	